

46

2018/05/18  
2018/05/18

फर्द अहकाम

(निधम 26)

अज अदालत - राजस्व लोक अदालत एवं उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर,  
कैम्प कोर्ट, ग्राम पंचायत, सहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर

रामकुमार क... वनाग सरकार

किस्म मुकदमा - 88 आरटीए व 136 एलआरएक्ट

नम्बर मुकदमा - 80/2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जागे हुए
29/05/18	<p>आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत, ग्राम पंचायत, सहसील पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर मुरतीब की गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमाबंदी सम्वत् 2072-2073 प्रम/स 3 P.L.M. के खाता संख्या 21 पर उसका नाम/ग्राम का नाम/पिता का नाम/जाति गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी का राशन कार्ड/पहचान पत्र/आधार कार्ड में उसका नाम/ग्राम का नाम/पिता का नाम/जाति <u>परिवार गोपालराम</u> दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजों में भिन्नता के कारण काफी शानो उठानी पड़ती है। अतः एलआरएक्ट की धारा 136 के तहत दुरुस्ती करवाई जावे। हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सहसीलदार, लूनकरनसर से रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जमाबंदी व दस्तावेजात में भिन्नता भूलावशः होनी नहीं पाई जाती है। प्रार्थी वर्तमान दस्तावेजात के आधार पर दुरुस्ती करवाना चाहता है, जिसे दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकरण एलआरएक्ट की धारा 136 के तहत दुरुस्ती का नहीं होकर जरिये घोषणा रिकार्ड दुरुस्ती का बनता है। अतः प्रकरण धारा 88 आरटीए के तहत दर्ज किया जावे। पेशकारराज की हैसियत से तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर परिवारी के नाम/ग्राम का नाम/पिता का नाम/जाति <u>देवी पालि न्यायालय</u> के स्थान पर उसका नाम/ग्राम का नाम/पिता का नाम/जाति <u>देवी पालि गोपालराम</u> परिवर्तन की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, लूनकरनसर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें। पर्चा डिक्री जारी हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 29/05/18 को हमारे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तरतीब तकमील संबंधित न्यायालय को प्रेषित हो।</p>	
राजस्व लोक अदालत	<p>सदस्य राजस्व लोक अदालत</p>	<p>29/05/18 उपखण्ड अधिकारी पीठासी लूनकरनसर उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर</p>

